क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.com

संदर्भ संख्या : 1192/NGT OA-1001/19/2020 दिनांक 28/09/2020

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- **judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com**

Sub: Compliance report in compliance to order issued on 20.02.2020 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in O.A. No 1001/2019 News Item in The Indian Express dated 18.10.2019 "titled 5000 Illegal E-Waste Units Being Run In Capital: Study authored by Esha Roy"

Respected Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 20.02.2020 in O.A. No 1001/2019 News Item in The Indian Express dated 18.10.2019 "titled 5000 Illegal E-Waste Units Being Run In Capital: Study authored by Esha Roy" the compliance report is submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Compliance report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3- Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

COMPLIANCE REPORT

IN THE MATTER OF O.A. No. 1001/2019

TITLED

NEWS ITEMS -THE INDIAN EXPRESS - 5,000 ILLEGAL E-WASTE UNITS BEING RUN IN CAPITAL: STUDY

(As Per Hon'ble National Green Tribunal's Order Dated 20.02.2020)

1. **Background**

The Hon'ble National Green Tribunal has taken cognizance of the News item in the Indian Express titled "5000 ILLEGAL E-WASTE UNITS BEING RUN IN CAPITAL: STUDY AUTHORED BY ESHA ROY" published on 18.10.2019 and passed necessary orders on 18.10.2019. In compliance of said orders, report has been filed by UP Pollution Control Board on 18.02.2020 and same has been taken on record and order has been passed on 20.02.2020, incorporating recommendations of the said report, which are as below:

- *Ghaziabad Development Authority should demarcate the areas where units are operating against the land use as per Master Plan and take necessary action against these units as per law/demolition of illegal units against the master plan.*
- *Ghaziabad Development Authority and District Administration should take action against owners of plots/land on which such illegal activities are being carried out under provisions of law.*
- *To stop the illegal clustering of industries in residential areas of Loni, it is mandatory that no industrial electricity connection to any industry in residential areas.*
- *It should be ensured that the illegal industries which are being closed down by the joint committee should not be allowed to operate again in the residential areas.*
- *Police should install a checking post and boom barrier at Loni-Delhi border and do mandatory checking of vehicles to stop transboundary movement of wires, PCBs and smelted ingots.*
- *All Dharam Kantas (weighing bridges) in the abovementioned areas of Loni should be stringently monitored by Weights and Measures Department and Police. They should be directed to report vehicles suspected to be carrying prohibited items like PCBs, wires etc."*

Further, Hon'ble Tribunal has passed following orders on 20.02.2020:-

"In view of the above, let further action be taken in the matter after making inventory of all such units and a further report be filed before the next date of hearing by email at judicial-

ngt@gov.in. It may also be ascertained as to what is the destination of the ewaste involved so that remedial action is taken. The DPCC and the State PCB may also involve any other authority/agency found concerned with the matter."

2. Status of Compliance and Action Taken Report

In compliance to the above order, Member Secretary, U.P. Pollution Control Board vide letter No H-49085/NGT-94/2019 dated 20.03.2020 has communicated Hon'ble Tribunal's order dated 20.02.2020 to District Magistrate, Ghaziabad for ensuring compliance of the said order and giving necessary directions to concerned departments for ensuring necessary action in view of State Board's recommendations incorporated in the said order of Hon'ble Tribunal. Copy of the said letter is annexed as *Annexure I* of the report.

Thereafter, all industrial activities were completely closed and material movement was restricted due to lockdown because of COVID 19. With introduction of Unlock, District Magistrate, Ghaziabad vide his letter dated 18.06.2020 has directed Senior Superintendent of Police, Ghaziabad, Ghaziabad Development Authority, Sub Divisional Magistrate, Loni, Chief Engineer, Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Executive Officer, Loni, Senior Inspector, Weights and Measurement Department and UP Pollution Control Board for compliance of orders of Hon'ble Tribunal and further necessary action. Copy of the said order is annexed as *Annexure II* of the report.

Compliance and Action Taken report is as follows:-

1- Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad has submitted compliance report vide letter No-65/Pravartan Zone-8/2020 dated 04.07.2020. As per report joint survey of Loni area has been done by officers of GDA and Tehsil Loni for, identification of Khasra numbers on which illegal industry is established against prescribed land use in Master Plan of GDA. During the said survey, 80 illegal units were identified and action has been taken against them under the relevant sections of Uttar Pradesh Town Planning and Development Act 1973. This process of action is Quasi-judicial nature in which action is completed by passing an order by the competent authority providing an opportunity for hearing. Further, joint survey of the area is being done by the said team to identify unauthorized units. Copy of compliance submitted by Ghaziabad Development Authority is annexed as *Annexure III*.

2- Chief Engineer (Distribution) Ghaziabad Zone, PVVNL, Ghaziabad has been submitted a report vide letter dated 25.06.2020. As per the report total 704 connections in Loni area have been verified in which 506 connections were not found, 64 connections could not be verified due to incomplete address, 23 connections have been permanent disconnected, 85 connections were found disconnected, 26 connections were found connected. Copy of compliance submitted by PVVNL is annexed as Annexure IV.

3- Senior Inspector, Legal Metrology (Weight and Measures), Ghaziabad has submitted report on dated 25.06.2020 & 04.07.2020. As per report received total 12 Dharam Kantas (Weighing bridges) have been inspected, in which challan has been issued against defaulting 09 Dharam Kantas. Copy of compliance submitted by the department is annexed as *Annexure V.*

4- Further, in view of directions of District Magistrate, Ghaziabad, Sub-Divisional Magistrate, Tehsil, Loni vide order dated 09.09.2020 has constituted a Joint Team of officers from District Administration, UPPCB, District Industries Centre, Nagar Palika Parishad, Loni, Ghaziabad Development Authority, Labour, Electricity and Police to carry out regular survey in Loni area, not only for purpose of identifying and taking action against electronic waste units but all pollution causing activities. Copy of the order is annexed as *Annexure VI.*

5- The joint team has also surveyed the areas of Seva Dhaam, Behta Hajipur and Amit Vihar in Loni region and it has been found that unit which were closed/demolished have not started any unauthorized activity again. Report of Joint Committee dated 23.09.2020 in this regard is annexed as Annexure VII.

3. Recommendations

It is again submitted that process of unauthorized dismantling and recycling has not been found to be done in Loni region. Unauthorized units are small establishments engaged in burning, etching or smelting only.

Waste Printed Circuit Boards (WPCBs) are a 'high-value' commodity to both the formal and informal e-waste recycling industry. WPCBs contain a variety of metals ranging from base metals like copper and aluminum to precious metals like gold, silver, platinum and palladium as well as critical metals of rare earth metals among others. Once the WPCBs reach the informal sector, all the components on the boards are removed using screwdrivers, pliers, and gas torches. Also, the board itself has considerable amount of metal, primarily

copper and tin, thus to extract copper the boards are dipped in acid baths for purpose of leaching and what remains is as shown below:

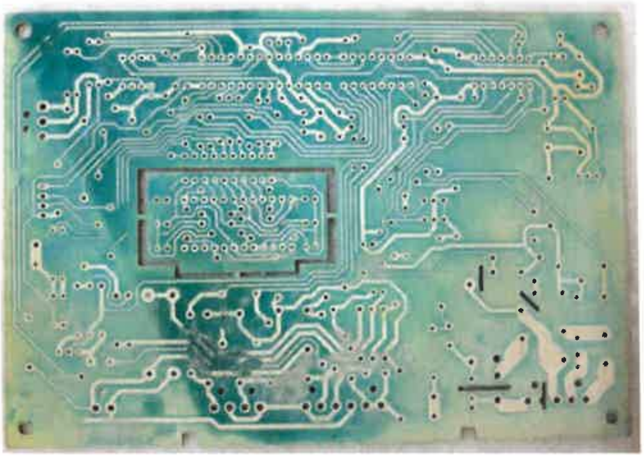

This is the type of waste in Loni region of Ghaziabad, the board above is bereft of most metallic fractions and represents what is known as the non-metallic fractions, which might constitute of Epoxy resin, glass fiber and some copper with impurities. Since economic benefit of recovering any material from these boards is minimal and the recovery process complex, same has been left in the region in form of waste. These boards possess an environmental risk and need to be disposed off by means of fine-pulverization and used further as fillers. Incineration or landfilling such waste is a short term and capital-intensive process.

Also, considering the amount of waste not only in Loni region but elsewhere as well, Central Pollution Control Board may consider to tap the Producers under Extended Producer Responsibility (EPR) clause as dumping and channelization of electronic waste from different parts of the country is a result of the failure of the Producers to bring back the e-waste into the formal collection channels as per E-Waste Management Rules, 2016. As stated earlier, the disposal and recycling of non-metallic fractions and thereby the bare and de-populated boards is not an economically attractive process. However, it is precisely to incentivize the proper and environmentally safe disposal of such 'low value' components or parts of e-waste that the producers pay their respective PROs and e-waste recyclers a 'Recycling Fee'.

Thus, for purpose of disposal of bare PCBs, CPCB may consider setting up a pilot fine pulverization unit or a unit based on any other technology that CPCB may deem fit in discussion with expert agencies and stakeholders and financial assistance may ideally be provided by the producers as part of their

quantities of WPCBs that is cleared and processed from the dumpsite must be counted as a part of their collection targets.

The factual and action taken report along with recommendations is hereby put up for your perusal and necessary action please.

(N.K. Pandey)	**(B.K. Singh)**
Junior Engineer	Assistant Environmental Engineer
Regional Office, UPPCB	Regional Office, UPPCB
Ghaziabad	Ghaziabad

Regional Officer

ANNEXURE-1

1.6.20

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H49886 /एनजीटी–94/2019 दिनॉक 26-3-2020

सेवा में

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद ओ0ए0 नं0–1001/2019 New items- The Indian Express-5000 illegal e-waste units being run in capital study में पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद ओ0ए0 नं0–1001/2019 New items- The Indian Express-5000 illegal e-waste units being run in capital study में पारित आदेश के सम्बन्ध मे दिनांक 20.02.2020 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के मुख्य अंश निम्न है–

Recommendations

In view of above findings and observations following recommendations are made:

- *Ghaziabd Development Authority dhould demarcate the areas where units are operating against the land use as per master plan and take necessary action against these units as per law/demolition of illegal units against the master plan.*
- *Ghaziabad Development Authority and District Administration should take action against owners of plots/land on which such illegal activities are being carried out under provisions of law.*
- *To stop the illegal clustering of industries in residential areas of Loni, it is mandatory that no industrial electricity connection to any industry in residentrial electricity connection to any industry in residential areas.*
- *It should be ensured that the illegal industries which are being closed down by the joint committee should not be allowed to operate again in the residential areas.*
- *Police should install a checking post and boom barrier at Loni-Delhi border and do mandatory checking of vehicles to stop transboundary movement of wires, PCBs and smelted ingots.*
- *All Dharam Kantas (weighing bridges) in the abovementioned areas of Loni should be stringently monitored by Weights and Measures Department and Police. They should be directed to report vehicles suspected to be carrying prohibited items like PCBs, wires etc."*

In view of the above, let further action be taken in the matter after making inventory of all such units and a further report be filed before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in. It may also be ascertained as to what is the destination of the e-waste involved so that remedial action is taken. The DPCC and the State PCB may also involve any other authority/agency found concerned with the matter.

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सदस्य सचिव

ANNEXURE-2

कार्यालय जिलाधिकारी **गाजियाबाद**

पत्रांक -126/O.A-1001/2019/2020 **मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण** / महत्वपूर्ण
दिनांक - 18/06/2020

सेवा मे,

1. पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. उपजिलाधिकारी, लोनी, गाजियाबाद।
4. मुख्य अभियंता, पश्चिमांचल विधुत वितरण निगम लि0, गाजियाबाद।
5. वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान विभाग (बॉट एवं माप), गाजियाबाद।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, गाजियाबाद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित वाद ओ0ए0 नं–1001/2019 News items -The Indian Express - 5,000 illegal e-waste units being run in capital : Study मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच-49085/एनजीटी–94/2019 दिनांक 20.03.2020 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित वाद ओ0ए0 नं–1001/2019 News items -The Indian Express - 5,000 illegal e-waste units being run in capital : Study मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 का मुख्य अंश निम्नवत है:–

"Recommendations In view of above findings and observations, following recommendations are made.........

- Ghaziabad Development Authority should demarcate the areas where units are operating against the land use as per Master Plan and take necessary action against these units as per law/demolition of illegal units against the master plan.
- Ghaziabad Development Authority and District Administration should take action against owners of plots/land on which such illegal activities are being carried out under provisions of law.
- To stop the illegal clustering of industries in residential areas of Loni, it is mandatory that no industrial electricity connection to any industry in residential areas.
- It should be ensured that the illegal industries which are being closed down by the joint committee should not be allowed to operate again in the residential areas.
- Police should install a checking post and boom barrier at Loni-Delhi border and do mandatory checking of vehicles 5 to stop transboundary movement of wires, PCBs and smelted ingots.
- All Dharam Kantas (weighing bridges) in the abovementioned areas of Loni should be stringently monitored by Weights and Measures Department and Police. They should be directed to report vehicles suspected to be carrying prohibited items like PCBs, wires etc."

In view of the above, let further action be taken in the matter after making inventory of all such units and a further report be filed before the next date of hearing by email at judicial-ngt@gov.in. It may also be ascertained as to what is the destination of the ewaste involved so that remedial action is taken. The DPCC and the State PCB may also involve any other authority/agency found concerned with the matter.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित वाद ओ0ए0 नं–1001/2019 News items -The Indian Express - 5,000 illegal e-waste units being run in capital : Study मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुपालन हेतु निम्न बिन्दुओं पर अपने विभाग से सम्बन्धित अनुपालन आख्या अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Sr. No.	Compliance Points	Department	Compliance report
1	Ghaziabad Development Authority should demarcate the areas where units are operating against the land use as per Master Plan and take necessary action against these units as per law/demolition of illegal units against the master plan.	Ghaziabad Development Authority/SDM, Loni	
2	Ghaziabad Development Authority and District Administration should take action against owners of plots/land on which such illegal activities are being carried out under provisions of law.	Ghaziabad Development Authority/SDM, Loni	
3	To stop the illegal clustering of Industries in residential areas of Loni, it is mandatory that no industrial electricity connection to any industry in residential areas.	Electricity Department	
4	It should be ensured that the illegal industries which are being closed down by the joint committee should not be allowed to operate again in the residential areas.	SDM, Loni/GDA/NPP, Loni/ Police/UPPCB /UPPCL	
5	Police should install a checking post and boom barrier at Loni-Delhi border and do mandatory checking of vehicles 5 to stop transboundary movement of wires, PCBs and smelted ingots.	SDM, Loni/Police	
6	All Dharam Kantas (weighing bridges) in the abovementioned areas of Loni should be stringently monitored by Weights and Measures Department and Police. They should be directed to report vehicles suspected to be carrying prohibited items like PCBs, wires etc."	Department of Legal Metrology (Weights & Measures)/Police	
7	It may also be ascertained as to what is the destination of the ewaste involved so that remedial action is taken.	SDM, Loni/Police	

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुक्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाऐं बिलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को ई–मेल admcitygzb@gmail.com एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को roghaziabad@uppcb.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे आख्या प्रस्तुत की जा सकें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

ANNEXURE-3

8/11 15/7/20

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

4696/ERIC

पत्र संख्या 65 /प्रवर्तन जोन-8/2020 दिनांक 4/7/2020

ADM(E)

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृते जिलाधिकारी गाजियाबाद 7.7.2020

सेवा में,

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र संख्या 126/ओ०ए० 1001/2019/2020 दिनांक 18.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० सं० 1001/2019 News items-The Indian Express-5,000 illegal e-waste units being run in capital : Study में पारित आदेश दिनॉक 20.02.2020 के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त विषय पर अधिशासी अभियन्ता/प्रभारी प्रवर्तन जोन-8 से आख्या प्राप्त की गयी, जो संलग्न है। उक्त आख्या अनुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20.02.2020 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा उप जिलाधिकारी, लोनी द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करते हुए कस्बा लोनी में ऐसे खसरा नम्बरों को चिन्हित किया जा रहा है जिन पर महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विरूद्ध उपयोग करते हुए इन पर उद्योग/फैक्ट्री आदि लगा ली गयी है। वर्तमान समय तक ऐसे 30 उद्योग/फैक्ट्री को चिन्हित किया जा चुका है तथा इनके विरूद्ध उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। उक्त कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रकृति की है, जिसमें साक्ष्य/सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अधिनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर कार्यवाही पूर्ण की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष ऐसे प्रकरण जो मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग के विरूद्ध भू-उपयोग संचालित कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में प्राधिकरण एवं तहसील, लोनी के स्टाफ द्वारा टीम बनाकर सर्वेक्षण करते हुए अन्य स्थल पर खसरा नम्बरों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा तथा पूर्ण अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी। प्रभारी प्रवर्तन की आख्या मूलरूप में संलग्न करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(संतोष कुमार राय)

सचिव

पत्र संख्या / प्रवर्तन जोन-8/2020 दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ हेतु।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

709/ST R.O.-PCB

अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद 10-07-2020

सचिव

193 new letters

सचिव महोदय

कृपया जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या-126/ओ0ए0-1001/2019/2020 दिनॉक 18.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0--1001/2019 News items-The Indian Express-5,000 illegal e-waste units being run in capital : Study में पारित आदेश दिनॉक 20.02.2020 के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकरण से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही कर सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 20.02.2020 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा उप जिलाधिकारी, लोनी द्वारा नियुक्त अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करते हुए कस्बा लोनी में ऐसे खसरा नम्बरों को चिन्हित किया जा रहा है जिन पर महायोजना में निर्धारित भू–उपयोग के विरूद्ध उपयोग करते हुए इन पर उद्योग/फैक्ट्री आदि लगा ली गयी है। वर्तमान समय तक ऐसे 80 उद्योग/फैक्ट्री को चिन्हित किया जा चुका है तथा इनके विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियिम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। उक्त कार्यवाही अर्द्धन्यायिक प्रकृति की है, जिसमें साक्ष्य/सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए अधिनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर कार्यवाही पूर्ण की जाती है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष ऐसे प्रकरण जो मास्टर प्लान में दर्शित भू–उपयोग के विरूद्ध भू–उपयोग संचालित कर रहे है उनके सम्बन्ध में प्राधिकरण एवं तहसील, लोनी के स्टाफ द्वारा टीम बनाकर सर्वेक्षण करते हुए अन्य स्थल पर खसरा नम्बरों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जायेगा तथा पूर्ण अनुपालन आख्या प्रेषित की जायेगी।

कृपया आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

03.07.2020 — सहायक अभियन्ता

03/7/20 — नगर नियोजक

03/7/20 — अधिशासी अभियन्ता/
प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

ANNEXURE-4

दूरभाष स0 0120-2821025
फैक्स स0 0120-2821025
Email gebzone@gmail.com

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
गाजियाबाद क्षेत्र
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
निकट 33/11 केवी
सबस्टेशन राजनगर, गाजियाबाद।
CIN:U31200UP2003SGC027458

पत्रांक- 965 /मु0अ0/गा0क्षे0/गा0बाद/ दिनांक 25/6/2020

विषय - मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित वाद ओ0ए0 न-1001/2019 News items-The Indian Express- 5,000 illegal e-waste units being run in capital: Study मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुसार लोनी के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों के औद्योगिकरण को रोके जाने के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-126/ओ0ए0-1001/2019/2020 दिनांक 18.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित वाद ओ0ए0 न-1001/2019 News items-The Indian Express-5,000 illegal e-waste units being run in capital: Study मे पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुसार लोनी के आवासीय क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योगों के औद्योगिकरण को रोके जाने के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या 01 सप्ताह मे उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध मे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आई0एन0एस0-02, वसुन्धरा सैक्टर-16, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या 4756 दिनांक 25.03.2019 के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय मे योजित अवमानना याचिका संख्या 996/2019 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 21.02.2019 के अनुपालन मे लोनी क्षेत्र मे बन्द किए गये उद्योगों 1191 नं0 औद्योगिक परिसरों की सूची पूर्व में इस कार्यालय को विद्युत विच्छेदन की पुष्टि सम्बन्धी अनुपालन आख्या हेतु उपलब्ध कराई गयी थी। जिसके अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, लोनी, गाजियाबाद द्वारा 37 नं0 औद्योगिक संयोजनों, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, लोनी, गाजियाबाद द्वारा 235 नं0 औद्योगिक संयोजनों तथा विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, लोनी गाजियाबाद द्वारा 432 नं0 औद्योगिक संयोजनो (कुल संयोजन 37+235+432=704) की सूची ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की है, जिसके अनुसार अद्यतन स्थिति निम्नवत है-

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	संयोजन नही है	अपूर्ण पता	पी0डी0	विच्छेदित पाये गये संयोजनो की संख्या	वर्तमान मे स्थापित संयोजनो की संख्या	कुल संयोजन
1	वि0वि0ख0-1 लोनी	23	10	1	3	-	37
2	वि0वि0ख0-2 लोनी	102	54	-	79	-	235
3	वि0वि0ख0-3 लोनी	381	-	22	3	26	432
	योग	506	64	23	85	26	704

उपरोक्त तालिका में वर्णित सूचना की छायाप्रति विवरण सहित आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। शेष 487 संयोजनों की विच्छेदन सम्बन्धी सत्यापन प्रकिया प्रगति मे है।

संलग्नक-यथोपरि।

(राकेश कुमार)
मुख्य अभियन्ता

ई-मेल/डाक

पत्रांक : /मु0अ0/गा0क्षे0/गा0बाद तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, आई0एन0एस0-02, वसुन्धरा सैक्टर-16, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गाजियाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल-लोनी।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, लोनी।

(राकेश कुमार)
मुख्य अभियन्ता

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

ANNEXURE-5

विषय! धर्मकाँटो की जाँच के विषय में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 126/OA/1001/2019/2020 दिनांक 18/06/2020 के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि लोनी क्षेत्र में संचालित धर्मकाँटो की जाँच की गयी जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्रमांक	धर्मकाँटे का नाम	पाई गयी अनियमितता	कृत कार्यवाही
1-	श्री विश्वकर्मा धर्मकाँटा बलराम नगर, लोनी	ब्रेब्रीज पर क्षमतानुसार मानक बाँट नही पाये गये। श्री नितिन द्वारा बताया गया कि वेब्रीज मालिक के जमीन पर ही लगा है।	चालान
2-	मै॰ गुप्ता धर्मकाँटा रामेश्वर पार्क लोनी	वेब्रीज पर क्षमतानुसार मानक बाँट नही पाये गये। श्री विनोद द्वारा बताया गया कि मालिक ने अपने जमीन पर वेब्रीज लगाया है।	चालान
3-	मै॰ दीप सम्राट धर्मकाँटा रामेश्वर पार्क लोनी।	वेब्रीज पर क्षमतानुसार मानक बाँट नही पाये गये। उपस्थित श्री सत्येन्द्र शर्मा द्वारा बताया गया कि वेब्रीज स्वामी ने अपनी जमीन पर धर्मकाँटा लगाया है।	चालान
4-	मै॰ प्रधान धर्मकाँटा प्लाट-07 B-D/ UPSIDC इन्डू. एरिया अपरैल पार्क ट्रोनिका सिटी, दिल्ली-सहारनपुर रोड, लोनी	मौके पर क्षमतानुसार मानक बाँट नही पाये गये। उपस्थित श्री राहुल ने बताया कि जिनका वेब्रीज है जमीन जमीन भी इन्ही का है।	चालान
5-	श्री राम धर्मकाँटा राजधानी इन्क्लेव लोनी	काँटे पर उपस्थित जावेद अली ने बताया कि यह धर्मकाँटा मालिक के जमीन पर स्थित है,	—
6-	गगन धर्मकाँटा अशोक विहार लोनी	वेब्रीज पर क्षमतानुसार मानक बाँट नही पाये गये। मौके पर उपस्थित श्री अमित त्यागी ने बताया कि यह धर्मकाँटा हमारे जमीन पर लगा है	चालान
7-	भारत धर्मकाँटा, लोनी गाजियाबाद रोड लोनी	यह बताया गया कि यह धर्मकाँटा मालिक के जमीन पर है।	—

जाँच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
04/7/2020
वरिष्ठ निरीक्षक
विधिक माप विज्ञान
मोहननगर

Scanned by CamScanner

क्रमांक........................

0122555

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 वं
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 27/06/20 समय..........................

व्यापारी का नाम व पता मै० श्री विश्वकर्मा धर्मकांटा
प्रो० श्री राजेन्द्र प्रसाद 9970956990
बलराम नगर लोनी सहारनपुर रोड लोनी

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। उप नितिन पु० श्री राजेन्द्र प्रसाद

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनपद के निरीक्षण के समय वेइंग 50,000 कि०ग्रा० x 20 मानक अनुसार बाट ने बताया उक्त धर्म लगा है	एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मौजूद, परन्तु मौके पर नहीं पाये उप० श्री नितिन कांटा हमारी जमीन पर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
वरिष्ठ निरीक्षक
केन्द्र...... विधिक माप विज्ञान
जिला...... मोहननगर
राज्य (उ०प्र०) गाजियाबाद (उ०प्र०)

Scanned by CamScanner

क्रमांक..................

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

अभिग्रहण ज्ञापिका

0122556

समय..............................

दिनांक 04/07/20

व्यापारी का नाम व पता श्री गुप्ता धर्मकांटा E/26 रामेश्वर पार्क लोनी 9810161254 प्रो० विपिन गुप्ता S/o श्री राजकिशोर

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। उक्त श्री विनोद

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनहित में निरीक्षण के समय एक इलेक्ट्रोनिक वेइंग ब्रिज 100,000kg का 20 मोहर परन्तु मौके पर मानक अनुसार बाट नहीं पाये श्री विनोद द्वारा बताया कि उक्त धर्मकांटा जिस जमीन पर लगा है उस जमीन के मालिक विपिन गुप्ता है जो कि धर्मकांटे के मालिक है	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र वरिष्ठ निरीक्षक
जिला विधिक माप विज्ञान
राज्य मोहननगर
(भोपुरा तिराहा) गाजियाबाद (उ0प्र0)

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)–2 नि0वि0मा0–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/आफसेट)।

Scanned by CamScanner

क्रमांक.........................

01222557

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 04/07/2020 समय.........................

व्यापारी का नाम व पता मै० दीप सम्राट धर्म कांटे
B. 8 राधेश्याम पार्क नियर पानी पुस्ता पुलिस चौकी
मालिक दीपक चौधरी जिला सहारनपुर रोड लोनी

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। प्र० सतेन्द्र कुमार शर्मा 9971036506

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जन हित मे निरीक्षण के समय एक इलैक्ट्रोनिक वेब्रिज 80,000kg का 20 मीटर परन्तु मौके पर मानक मेजर कांटे नहीं पाये। प्र० सतेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि जिस जमीन पर धर्मकांटा लगा है उसके मालिक श्री दीपक चौधरी हैं जो धर्मकांटे के मालिक भी हैं।	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

सत्येन्द्र

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र वरिष्ठ निरीक्षक
जिला विधिक माप विज्ञान
मोहननगर
राज्य (घोपड़ तिराहा) गाजियाबाद (उ०प्र०)

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–2 नि०वि०मा०–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/आफसेट)।

Scanned by CamScanner

क्रमांक.........................

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

0122559

अभिग्रहण ज्ञापिका

समय.........................

दिनांक 04/07/2020

व्यापारी का नाम व पता मै० प्रधान धर्मकांटा प्लाट नं०-7 सेक्टर डी-1 (UPSIDC) इण्डस्ट्रीयल एरिया अपरेल पार्क ट्रोनिका सिटी दिल्ली सहारनपुर रोड लोनी प्रो० अनुज नाम 8826687315

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। श्री० राहुल पुत्र श्री प्रेमसिंह 9990650791

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
उपरोक्त मै० निरीक्षण के समय एक इलैक्ट्रोनिक वेइंग ब्रिज 80,000kg का 19 मीटर परन्तु मौके पर मानक अनुसार बाट नहीं पाये गये। श्री० राहुल ने बताया कि जिनका यह धर्मकांटा है यह जमीन उन्हीं की है राहुल कुमार	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र......वरिष्ठ निरीक्षक
जिला......विधिक माप विज्ञा
राज्य......मोहननगर
(अपरा तिराहा) गाजियाबाद (उ०प्र०)

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–2 नि०वि०मा०–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर / आफसेट)।

Scanned by CamScanner

क्रमांक.........................

01222560

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 04/07/2020 समय.........................

व्यापारी का नाम व पता मै0 ईश्वर गगन धर्मकांटा
अशोक विहार राजेश्वर पार्क के सामने
लोनी प्रो0 अमित त्यागी 9899722275

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं।

सन्तोष त्यागी

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनहित में निरीक्षण	के समय एक इलैक्ट्रोनिक
वेइंग ब्रिज 100,	000 kg एवं 20 मीटर
मौके पर मानक	अनुसार बांट नहीं पाये
प्रो0 श्री अमित त्यागी	जी ने बताया उक्त धर्मकांटा
अपनी जमीन पर	लगा है
अमित त्यागी	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र वरिष्ठ निरीक्षक
जिला विधिक माप विज्ञान
मोहननगर
राज्य (मेरठ तिराहा) गाजियाबाद (उ0प्र0)

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)–2 नि0वि0मा0–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर / आफसेट)।

Scanned by CamScanner

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद

विषय: लोनी क्षेत्र में धर्मकाँटो की जाँच के सम्बंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक 126/ओ.ए.-1001/2019/2020 के अनुपालन में उपर्युक्त विषयक धर्मकाँटो की जाँच की गयी जिसका विवरण निम्नलिखित है—

क्रमांक	धर्मकाँटा का नाम	पाई गयी स्थिति	कृत कार्यवाही
1-	मै. एस. के. एस. धर्मकाँटा दिल्ली-सहारनपुर रोड आर्यनगर लोनी	बताया गया कि धर्मकाँटा डायरेक्टर ऑफ इण्ड. से जमीन किराया पर लेकर संचालित है।	—
2-	मै. परमात्मा धर्मकाँटा दिल्ली-सहारनपुर रोड लोनी	बताया गया कि धर्मकाँटा जिस जमीन पर संचालित है वह जमीन धर्मकाँटा स्वामी श्रीमती उषा गुप्ता की है। परंतु मौके पर क्षमतानुसार मानक बाँट नहीं पाया गया अतः नियमानुसार चालान किया गया	चालान
3-	शिव धर्मकाँटा B-146 इन्डस्ट्री दिल्ली रोड लोनी	बताया गया कि धर्मकाँटा जिस जमीन पर है वह जमीन धर्मकाँटा स्वामी की है। परंतु नवीनीकरण सत्यापन एवं प्रमाणपत्र न होने के कारण चालान किया गया।	चालान
4-	मै. शिवम धर्मकाँटा टीला शाहबाजपुर लोनी	बताया गया कि धर्मकाँटा जिस जमीन पर है उसके स्वामी धर्मकाँटा मालिक थे परंतु क्षमतानुसार मानक बाँट न होने के कारण चालान किया	चालान
5-	प्रधान टेकचंद धर्मकाँटा टीला मोड़ लोनी	बताया गया कि धर्मकाँटा जिस जमीन पर है उसका मालिकाना हक श्री टेकचंद का है परंतु नवीनीकरण सत्यापन एवं प्रमाणपत्र न होने के कारण चालान किया गया।	चालान

आख्या सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
25/6/2020
वरिष्ठ निरीक्षक
विधिक माप विज्ञान
मोहननगर

Scanned by CamScanner

निरीक्षण रिपोर्ट

जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 126/07-1001/2019/2020 दिनांक 18/06/2020 के अनुपालन में आज दिनांक 24/6/2020 को मै. एस. के. एस. थर्मोकोल, दिल्ली-सहारनपुर रोड [illegible] आर्यनगर लोनी का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित श्री रविन्द्र s/o स्व. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा (मशीन आपरेटर) हैं। थर्मोकोल के प्रोपराइटर श्री सुनील कुमार शर्मा S/o श्री रामानंद शर्मा हैं। मशीन आपरेटर श्री रविन्द्र कुमार ने बताया कि थर्मोकोल जिस जमीन पर लगा है वह किराये की जमीन है। जिसे DIC डायरेक्टर आफ इण्ड. से किराये पर लेने की बात कही गयी, परन्तु मौके पर प्रदर्शित नहीं पायी गयी। फर्म के प्रोपराइटर श्री सुनील कुमार शर्मा मौके पर नहीं मिले। इन्होंने मोबाइल पर बताया कि वे बाहर मेरठ हैं। श्री सुनील कुमार शर्मा का मोबाइल नं. 9911442288 है।

उक्त मशीन की क्षमता 100,000kg है।

Ravinder Sharma

Late Shri Chander Prakash Sharma

9971286127

(हस्ताक्षर)
24/6/2020
वरिष्ठ निरीक्षक
विधिक माप विज्ञान
मोहननगर

Scanned by CamScanner

क्रमांक..................

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

0122551

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 25/6/20 समय..................

व्यापारी का नाम व पता मै० परमात्मा धर्मकांटा
मेन दिल्ली सहारनपुर रोड लोनी
बलराम नगर प्रो० श्रीमती उर्मिला ...

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। 9718382904

सचिन पु० [illegible]

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनहित में निरीक्षण के वेइंग ब्रिज 80,000kg ना० पर मानक अनुसार	समय इलैक्ट्रॉनिक वेइंग मोहर परन्तु मौके बाट नहीं पाये

Sachin

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

वरिष्ठ निरीक्षक
विधिक माप विज्ञान
मोहननगर

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र..................
जिला..................
राज्य..................

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)–2 नि0वि0मा0–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/आफसेट)।

Scanned by CamScanner

क्रमांक.................

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ0प्र0 विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

0122552

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 25/6/20 समय..........

व्यापारी का नाम व पता मै० शिव धर्मकांटा 9217063481 9990423555
B.146 इन्द्रपुरी, दिल्ली रोड मोनी
प्रो० संजीव राठी

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। प्र० रिंकू 8755511787

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनहित में निरीक्षण के समय इलैक्ट्रोनिक वेब्रिज 60,000 kg रिंकू 8755511787	असत्यापित मौके पर प्रमाण पत्र नहीं पाया

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया [signature]

के नाम व पते–
(1)
(2)

[signature]
विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र वरिष्ठ निरीक्षक
विधिक माप विज्ञान
जिला मोहननगर
राज्य साहिबाबाद गाजियाबाद (उ0प्र0)

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0) प्रेमा0–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/आफसेट)।

Scanned by CamScanner

क्रमांक..............................

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

0122553

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 25/6/20 समय..............................

व्यापारी का नाम व पता मै० शिवम धर्मकांटा
ग्राम शाहबाजपुर लोनी मोहननगर
प्रो० दिपक शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं। 9910457837

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनहित में निरीक्षण के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग ब्रिज क्षमता 80,000 kg एवं 20 मीटर लंबे पर मानक अनुसार बाट नहीं पाये प्रोपराइटर दिपक शर्मा के चलाने पर यह धर्मकांटा इनकी जमीन पर लगा है। दिपक	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र वरिष्ठ निरीक्षक
जिला विधिक माप विज्ञान
राज्य मोहननगर गाजियाबाद

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–2 नि०वि०मा०–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर/आफसेट)।

Scanned by CamScanner

क्रमांक......................

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं उसके अन्तर्गत बनी
उ०प्र० विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 व
विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के अन्तर्गत

0122554

अभिग्रहण ज्ञापिका

दिनांक 25/6/20 समय..........................

व्यापारी का नाम व पता मै० प्रधान टेकचन्द कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा
नमकीन भारत पेट्रोल पम्प टीला मोड़ लोनी
प्रो० दिनेश पुत्र रतिराम ९67817731।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 15 के अधीन उल्लिखित कारणों से निम्नलिखित बाट या माप, पैकेज आदि अभिग्रहीत कर रोक लिए गए हैं।

9891550250

बाट या माप, पैकेज आदि का विवरण	अभिग्रहण एवं रोकने के कारण
जनहित में निरीक्षण के समय एक इलैक्ट्रॉनिक वेइंग ब्रिज 80,000 kg क्षमता असत्यापित व मौके पर प्रमाण पत्र नहीं पाया श्री दिनेश के बताने के अनुसार इस जमीन का मालिकाना हक टेकचन्द है।	

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिससे अभिग्रहीत किया गया

साक्ष्यों के नाम व पते–
(1)
(2)

विधिक माप विज्ञान अधिकारी
केन्द्र वरिष्ठ निरीक्षक
जिला विधिक माप विज्ञा
मोहननगर
राज्य ...पुर तिराहा गाजियाबाद (उ०प्र०)

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)–2 नि०वि०गा०–29–4–2015–2500 पुस्तकें (कम्प्यूटर / आफसेट)।

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-6

B/H- Receive Pay Mr N.K Pandey JE

09/09/20

कार्यालय उपजिलाधिकारी लोनी जनपद गाजियाबाद।

पत्रांक 4604/एस0टी0--एस0डी0एम0--लोनी/2020 दिनांक 09 सितम्बर, 2020

"आदेश"

ई0पी0सी0ए0, नई दिल्ली द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिपोर्ट संख्या 106 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अध्यक्ष, ई0पी0सी0 द्वारा माह, अक्टूबर, 2019 में जनपद गाजियाबाद का निरीक्षण कर वायु प्रदूषण के दृष्टिगत हॉट स्पॉट चिन्हित किये गये हैं व इस सम्बन्ध में अपनी आख्या मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित की गई है। अध्यक्ष, ई0पी0सी0ए0 द्वारा दायर रिपोर्ट के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 13029/1985 में समय-समय पर निर्देश पारित किये गये है व उक्त पकरण में मुख्य सचिव, महोदय उ0प्र0 शासन स्वंय न्यायालय में उपस्थित हुए हैं, जिसके सम्बन्ध में आज दिनांक 07.09.2020 को अपरान्ह् 01:00 बजे जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई तथा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 15.09.2020 को मा0 अध्यक्ष द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दायर की जानी है जिसके कम में प्रतिदिन कृत कार्यवाही की रिर्पोट चाही गई है।

उक्त के दृष्टिगत तहसील लोनी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु तहसील लोनी स्तर से निम्नत टीम गठित की जाती है:-

- नायब तहसीलदार/अधिशासी मजिस्ट्रेट लोनी। — अध्यक्ष
- क्षेत्रीय अधिकारी, प्र0 नि0 बोर्ड, गा0बाद द्वारा नामित अधिकारी। — सदस्य
- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, गा0बाद द्वारा नामित अधिकारी — सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, गा0बाद द्वारा नामित अधि0 — सदस्य
- प्रभारी अधिकारी, प्रवर्तन जोन-8, गा0वि0प्रा0 द्वारा नामित अधिकारी। — सदस्य
- उपश्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी। — सदस्य
- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद लोनी — सदस्य
- सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक। — सदस्य

उक्त टीम प्रतिदिन क्षेत्र में उपस्थित होते हुए सयुंक्त रूप से खुले में पडे रोड, डस्ट आदि विल्डिंग मैटेरियल, प्रदूषणकारी इकाईयों, अवैध जलदोहन के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी तथा प्रतिदिन सांय 03 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

उपजिलाधिकारी,
लोनी।

प्रतिलिपि:-

01- जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ।
02- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद को सादर अवलोकनार्थ।
03- सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।

9/9/20

उपजिलाधिकारी,
लोनी।

Scanned by CamScanner

ANNEXURE-7

वायु प्रदूषणकारी एंव अन्य प्रदूषणकारी उद्योगों के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी महोदय लोनी के पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा कृत कार्यवाही की आख्याः–

वायु प्रदूषण कें दृष्टिगत चिन्हित वायु प्रदूषणकारी एवं अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के विरुद्ध उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित टीम के सदस्यों द्वारा आज दिनांक 23.09.2020 को सिंडीकेट गार्डन, अमित विहार तथा कृष्ण विहार गडढा सेवा धाम रोड बहटा हाजीपुर लोनी स्थित उद्योगों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी हैः–

1. मैसर्स जय दुर्गे प्रोपटीज (श्री राजेश मावी) द्वारा न्यू पाईप लाईन गोविन्द टाउन चौराहा बहटा रोड, लोनी गाजियाबाद प्लाट में भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री रोडी एवं बालू बिना ढकें एकत्र कर विक्रय की जा रही है, जोकि माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशो का उल्लंघन है। अतः संयुक्त टीम द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया।

2. मैसर्स गर्ग बिल्डिग मेटेरियल (श्री हिमान्शू जैन) द्वारा न्यू पाईप लाईन गडढा बहटा रोड, लोनी गाजियाबाद प्लाट में भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री रोडी एवं बालू बिना ढकें एकत्र कर विक्रय की जा रही है, जोकि माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशो का उल्लंघन है। अतः संयुक्त टीम द्वारा माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया।

3. श्री धमेन्द्र (श्री सुशील पुत्र श्री दुलीचन्द) खसरा नं0 1945, सिंडीकेट गार्डन कृष्णा विहार फेस 2 मैन मंडोली रोड बहटा हाजीपुर लोनी गाजियाबाद द्वारा विभिन्न कैमिकल पाउडर इत्यादि को मिक्स करके आटोमोबाईल रबर कम्पोनेन्ट के उत्पादन का कार्य किये जाते चिन्हित किया गया। अतः आवासीय क्षेत्र में अवैध रुप से संचालित होने के दृष्टिगत संयुक्त समिति द्वारा ईकाई के मुख्य गेट को सील किया गया।

4. श्री कमल मावी पुत्र स्व0 रमेश मावी के प्लाट खसरा नं0 1945, सिंडीकेट गार्डन कृष्णा विहार फेस 2 मैन मंडोली रोड बहटा हाजीपुर लोनी गाजियाबाद द्वारा भटठी के माध्यम से ढलाई का कार्य किये जाते चिन्हित किया गया। अतः आवासीय क्षेत्र में अवैध रुप से संचालित होने के दृष्टिगत संयुक्त समिति द्वारा ईकाई के मुख्य गेट को सील किया गया।

5. संयुक्त समिति द्वारा अमित विहार बहटा हाजीपुर लोनी स्थित अवैध भटठी का संचालन करने वाले उधोगो के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान स्थित उधोगों के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ पाया गया तथा किसी भी प्रकार की उत्पादन सम्बन्धी गतिविधी दृष्टिगोचर नही हुयी।

Scanned with CamScanner

6. संयुक्त समिति द्वारा कृष्णा विहार गडढा, बहटा हाजीपुर लोनी स्थित अवैध रुप से इलेक्टानिक वेस्ट तथा तेजाब से मेटल रिकवरी का संचालन करने वाले उधोगो के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पूर्व में डेमोलिश/सील किये गये उधोग यथावत डेमोलिश/बन्द पाये गये। तथा किसी भी प्रकार की उत्पादन सम्बन्धी गतिविधी दृष्टिगोचर नही हुयी।

वायु प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के दृष्टिगत संयुक्त टीम द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

नगर पालिका परिषद
लोनी

23-9-2020
गाजियाबाद विकास
प्राधिकरण, गाजियाबाद

जिला उधोग केन्द्र
गाजियाबाद

23-9-2020
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण
बोर्ड, गाजियाबाद

नायब तहसीलदार
लोनी गाजियाबाद

Scanned with CamScanner